दिनांक 25.07.2017 को अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग की अध्यक्षता में प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड एवं महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न e-pension का Demo Presentation सह बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :- संलग्न सूची के अनुसार ।

राज्य सरकार के सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली असुविधा तथा विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में श्रीमती मौसमी भट्टाचार्य, प्रधान महालेखाकर, झारखण्ड, महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी एवं योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के संबंधित पदाधिकारियों के साथ दिनांक 25.07.2017 को 11. 00 बजे पूर्वाह्न में सम्पन्न बैठक में श्री ओमेश सिन्हा, टी०डी०, एन०आई०सी० द्वारा e-pension का Demo प्रस्तुत किया गया एवं विस्तृत चर्चा/समीक्षा की गयी ।

समीक्षा के क्रम में निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

1. दिनांक 01.09.2017 से e-pension की शुरूआत की जाएगी । e-pension हेतु आवश्यक प्रशिक्षण टी०डी०, एन०आई०सी० द्वारा सभी डी०आई०ओ० को V.C के माध्यम से दिया जायेगा ।(अनुपालन- श्री ओमेश सिन्हा, टी०डी०, एन०आई०सी०)

2. सभी सचिव को विभाग के स्तर पर/डी०सी० को जिला के स्तर पर पेंशन से संबंधित समस्या के निपटारे के लिये शिकायत कोषांग गठित करने का आदेश दिया जायेगा साथ ही संयुक्त सचिव/उप सचिव (विभाग) एवं ए०डी०एम० (जिला) स्तर के पदाधिकारी को e-pension संबंधित समस्याओं के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया जायेगा, जो योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करेंगे ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० नोडल पदाधिकारी)

3. e-pension हेतु User Manual तथा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया का विवरण तैयार कर वित्त विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग/श्री ओमेश सिन्हा)

4. पेंशन स्वीकृति के दौरान हर स्तर पर SMS के माध्यम से कर्मी को मैसेज उनके निबंधित मोबाईल नम्बर में भेजने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । (अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग/श्री ओमेश सिन्हा)

5. सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों को कठिनाई न हो इस हेतु प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से e-pension प्रपत्र भरने की व्यवस्था की जाएगी ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग)

6. दिनांक 04.08.2017 एवं 05.08.2017 को DSE और DEO के बैठक में e-pension के क्रियान्वयन से संबंधित Demo सह प्रशिक्षण कराया जायेगा ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग/श्री ओमेश सिन्हा)

7. अगामी 6 (छः) माह में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग/श्री ओमेश सिन्हा)

8. पेंशन स्वीकृति उपरान्त महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाईन डाटा के साथ-साथ सेवापुस्त तथा ऑनलाईन भरे हुए प्रपत्र को डाउनलोड कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति स्वीकृति पदाधिकारी द्वारा यथासम्भव स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जायेगी ।(अनुपालनः- सभी विभाग/उपायुक्त)

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) संबधित कर्मी के सेवानिवृति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत कर ऑनलाईन संबधित कोषागार पदाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उपलब्ध करायेंगे । (अनुपालनः- सभी विभाग/उपायुक्त)

10. e-pension की जागरूकता हेतु दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तृत विज्ञापन कराया जायेगा । (अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग)

11. प्राथमिकता के आधार पर जिलों में पदस्थापित स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कर्मियों को e-pension के संबंध विशेष प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी ।(अनुपालनः- पी०एम०यू० कोषांग)

12. पावती पत्र हेतु ऑनलाईन व्यवस्था की जायेगी, जो e-pension प्रपत्र के स्वीकृति के उपरान्त निर्गत किया जायेगा ।(अनुपालनः- श्री ओमेश सिन्हा)

13. e-pension के लंबित मामले एवं समस्या का उल्लेख Dash Board पर प्रदर्शित किया जायेगा ।(अनुपालनः- श्री ओमेश सिन्हा)

14. महालेखाकार कार्यालय द्वारा पी०पी०ओ० निर्गत करने के उपरान्त संबंधित सेवानिवृत कर्मी को उसकी प्रति e-mail के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी । (अनुपालनः- महालेखाकार कार्यालय)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

27.7.2017

(अमित खरे)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।